समक्ष - श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य - प्रदेश

(18) (81)

निग 1274-II-16

1. धनसींग आयु लगभग 55 वर्ष पिता रमचे आदिवासी निवासी ग्राम दलपतपुर मालगुजारी तह. व थाना खुरई जिला सागर म.प्र.

श्री मुकेश मालव द्वारा आज दि. 21-4-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-4-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

---- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन
द्वारा - श्रीमान कलेक्टर महोदय, सागर

--- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 :-

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, सागर द्वारा प्र.क्रं. 26/बी/121 वर्ष 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 1.4.2016 के विरुद्ध निम्न सबल आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

पुनरीक्षण/निगरानी के आधार

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा उसे म.प्र. शासन द्वारा भूमि ख.नं. 3/2 रकबा 0.45 हे0 ग्राम दलपतपुर मालगुजारी प.ह.नं. 38 तह. खुरई में शासकीय पट्टे पर प्रदान की गई थी ।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता अत्यधिक बीमार रहता है और वृद्ध है वह कोई कार्य भी नहीं कर सकता इस कारण उसे अपने इलाज स्वयं का भरण पोषण एवं आजीविका के निर्वहन हेतु धन की आवश्यकता है इस कारण उसने उक्त भूमि विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिये श्रीमान कलेक्टर महोदय, सागर के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी

3. यह कि, श्रीमान कलेक्टर महोदय, सागर द्वारा उक्त याचिका प्रस्तुति के उपरांत तहसीलदार खुरई एवं अनुविभागीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... निग. 1274–II/16 .... जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.4.16	1– आवेदक की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किए गए। 2– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर सागर के प्र.क्र.261/बी–21/2015–16 में पारित आदेश दि.01.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक धनसिंह को भूमि खसरा नंबर 3/2 रकवा 0.45 हे0 भूमि ग्राम दलपतपुर मालगुजारी हल्का नंबर 38 तहसील खुरई शासन से पट्टे पर प्रदान की गई थी। जिसे 10 वर्ष पश्चात भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे जिसके विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा निवेदन किया था कि आवेदक अपनी बीमारी का ईलाज कराने तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है उसकी शारीरिक क्षमता कृषि कार्य करने हेतु नहीं इस कारण सबल आधारों सहित आवेदन मान्य किया जाकर भूमि विक्रय की अनुमति चाही थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक कारण के समुचित जॉच के उपरांत भी 30 कॉलम बनाते हुए पुनः जॉच की मांग कर अनुमति प्रदान नहीं की है अतएव उन्होंने पारित आदेश दि. 01.04.2016 को निरस्त कर भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। उनका यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन पत्र दिया गया था वह बीमारी के इलाज कराने बावत् राशि की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कराये जाने उपरांत भूमि के विक्रय किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया था किंतु पुनः जॉच किए जाने के आधार पर आवेदक का आवेदन मान्य नहीं किया गया है। जिससे आवेदक द्वारा अपना इलाज करा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस कारण उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति दिया जाना न्याय संगत बताते हुये निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है कलेक्टर सागर ने आवेदक को भूमि की अनुमति देने से इन्कार नहीं किया है और पुनः जॉच बिंदु निर्धारित कर प्रतिवेदन चाहा है अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है परंतु चूंकि आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि, उसे बीमारी के इलाज हेतु पैसे की शीघ्र आवश्यकता है तथा वह कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं है इसके अतिरिक्त वह शासन से अन्य भूमि की मांग नहीं करेगा। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के विचार उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.16 निरस्त किया जाता है। तथा आवेदक को भूमि ग्राम दलपतपुर मालगुजारी हल्का नंबर 38 तहसील खुरई स्थित खसरा नंबर 3/2 रकबा 0.45 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विकय–विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं – उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विकय विलेख संपादित करें। सदस्य	